संख्याः 254/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

3–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक विभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 10 अक्टूबर, सितम्बर, 2002

विषयः उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनुमन्य किया गया है ।

2– राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रकम पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तरांचल प्रदेश के निवासी उन जातियों के व्यक्तियों को ही अनुमन्य होगा, जो इस निमित्त उत्तरांचल शासन द्वारा जारी की गयी अनुसूची में सम्मिलित हों ।

3– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा क्रमशः संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1950 को उक्त अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में यथा निर्देशित संशोधित कर दिया गया है । तद्नुसार उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठी अनुसूची में पृथक से चिन्हित हो चुकी हैं । अतः उत्तरांचल राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्याः 254/कार्मिक–2/2002, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।